कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय का पता–कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, लालगढ़, बीकानेर
दूरभाषः–0151 2220140 .ई–मेलः–ddrtebknr@gmail.com

क्रमांक –शिविरा/प्रारं/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/2022–23/ 30 दिनांक– 22.07.2022

जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय
प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा
समस्त ।

विषय– वित्तीय वर्ष 2022–23 में आरटीई के तहत शैक्षिक सत्र 2020–21 तथा सत्र 2021–22 की प्रथम/द्वितीय किस्त के पुनर्भरण के संबंध में।

संदर्भ– राज्य सरकार के आदेश कमांक– प.9(6) शिक्षा–5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 26.10.2020 तथा प.8(2) शिक्षा–5/यूनिट कॉस्ट सत्र 2021–22/2021 जयपुर दिनांक 02.03.2022 एवं प.8(2) शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश 2021–22/2021 जयपुर, दिनांक 01.09.2021 तथा प.8(2) शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश 2021–22/2021 जयपुर, दिनांक 06.06.2022

प्रसंगः–कार्यालय हाजा के पत्रांक शिविरा/प्रारं/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/2021–22/140–142 दिनांक 08.09.2021 तथा शिविरा/प्रारं/ RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/2021–22/186 दिनांक 26.11.2021 शिविरा/प्रारं/ RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/2021–22/220 दिनांक 09.02.2022 शिविरा/प्रारं/ RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/2021–22/231 दिनांक 11.03.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक एवं संदर्भित पत्रों के संबंध में लेख है कि आपके जिले की आरटीई पोर्टल मांग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में शैक्षिक सत्र 2020–21 तथा सत्र 2021–22 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के आरटीई पुनर्भरण हेतु बजट जारी किया जा चुका है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2020–21 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त तथा शैक्षिक सत्र 2021–22 की प्रथम किस्त का बकाया पुनर्भरण किस्त की वरीयता एवं क्लेम बिल प्राप्त एडी की वरीयता का कम निर्धारण करते हुए भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा शैक्षिक सत्र 2021–22 की द्वितीय किस्त का पुनर्भरण किए जाने हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जावे–

1. शैक्षिक सत्र 2020–21 प्रथम/द्वितीय तथा 2021–22 की प्रथम किस्त का बकाया भुगतान प्राथमिकता से किया जावे तथा इन सत्रों का कोई भुगतान लम्बित न रहे।
2. शैक्षिक सत्र 2020–21 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा भुगतान से पूर्व की जाने वाली कार्यवाही पूर्व निर्देशों के अनुरुप की जानी है।
3. शैक्षिक सत्र 2021–22 की द्वितीय किश्त के पुनर्भरण से पूर्व यह जांच लें कि विद्यालय द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 एवं नियम, 2017 की पालना की गई है तथा नियमानुसार पोर्टल पर फीस का इन्द्राज कर दिया गया है।
4. किसी भी स्थिति में प्रति बालक पुनर्भरण राशि शैक्षिक सत्र 2020–21 के लिए निर्धारित यूनिट कास्ट 11802 एवं पाठ्य पुस्तक राशि 112 एवं सत्र 2021–22 के लिए निर्धारित यूनिट कॉस्ट 13535 एवं पाठ्य पुस्तक राशि 202 रु प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. ऐसे गैर–सरकारी विद्यालय जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध करवाने के बाद ही सत्र 2021–22 की द्वितीय किस्त का पुनर्भरण किया जाएगा।
6. शैक्षिक सत्र 2021–22 की प्रथम किस्त की अन्तरिम (PROVISONAL) राशि में अतिरिक्त भुगतान /फीस का समायोजन कर ही विद्यालय को वित्तीय वर्ष 2022–23 में शैक्षिक सत्र 2021–22 की द्वितीय किस्त का पुनर्भरण किया जाए।
7. वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2021–22 की द्वितीय किस्त का पुनर्भरण किए जाने से पूर्व उक्त सत्र में प्रवेशित तथा पूर्व क्रमोन्नत (आधार कार्ड के मिलान से वंचित) समस्त विद्यार्थियों के विवरण यथा विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक एवं जेण्डर संबंधी सूचना का आधार कार्ड से सत्यापन कर एवं पोर्टल पर प्रविष्टि किए जाने के पश्चात ही संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों का पुनर्भरण किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही जिन बालकों के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालय को अप्राप्त है अथवा पोर्टल पर अंकित बालक के विवरण और आधार कार्ड मे अंकित विवरण की सभी प्रविष्टियां समरूप नहीं है, उन गैर सरकारी विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर आधार कार्ड से मिलान करने के पश्चात ही 2021–22 की द्वितीय किस्त का पुनर्भरण किया जाना है।
8. सभी सत्रों के लिए भुगतान करने से पूर्व तत्संबंधी लागू नियमों की पालना की जावे।

आपके कार्यालय को प्राप्त एडी का पूर्ण विवरण युक्त सूची मय स्कूल का नाम, एडी दिनांक, बिल ट्रेजरी भेजने की दिनांक, ट्रेजरी भिजवाए गए बिल पारित/आक्षेपित की स्थिति सहित वरीयता क्रम में नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रुप से चस्पा की जाए।

कार्यालय को प्राप्त पुनर्भरण के बिलों के पास ऑर्डर सम्पूर्ण दस्तावेज की जांच उपरांत जो भी कमियां पाई जाती है उन सभी कमियों को आक्षेप (OBJECTION) कॉलम में एक साथ ही लिखकर आक्षेप लगाएं। उक्त संपूर्ण प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. श्री विनोद जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पोर्टल पर उक्तानुसार व्यवस्था करावें।

(चंद्र किरण पंवार)
उपनिदेशक (आरटीई)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर